



तारीख
हुकम

06/03/2025

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
21 जकीज कार्यों में उपस्थित हैं।
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक
03/04/2025 का पेश हो।

आज्ञा से

रीडर

03/04/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अनुपस्थित। अधिवक्ता
वादी उतिवादीगण को सम्मन जारी करें Reg. A.D. पेश करें।
पत्रावली दिनांक 30/04/2025 को पेश हो। 

30/04/25

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उतिवादी दोनों अनुपस्थित,
वादी, उतिवादी की और से अधिवक्ता गण भी
अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट
होता है कि वादी एवं उतिवादी उक्त दिनांक
को भी अनुपस्थित हैं परंतु क्मायहित में
एक अवसर दिया गया था। वादी एवं
उतिवादी की अनुपस्थिति के कारण पत्रावली
अंतर्गत CPC भाईश 9 नियम 3 के तहत
स्वारिज की जाती है। पत्रावली फैसल
शुमार हो नंबर से कम की जाकर हासिल
दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया। 